राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 5(12)ग्रावि/अनु–8/प्र.शा.स.बै./2018/ जयपुर, दिनांक 4/5/18

## बैठक कार्यवाही विवरण

प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभाग के सभी अनुभाग अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. आवास अनुभाग आवासीय योजनान्तर्गत भवनों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाऐ। जिन जिलों में आकर्षक एवं गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण किये है इसका अवलोकन अन्य जिलों के अधिकारियों/कार्मिकों/जनप्रतिनिधियों को एक्सपोजर विजिट करायी जाए।
2. जिन जिला /पंचायत समिति द्वारा ग्रामीण बीएसआर नहीं बनायी है, उन्हें शीघ्र बनवायी जाए।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास के साथ–साथ अन्य सुविधाऐं जैसे गैस कनेक्शन, सोलर लाईट, महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य कराये जाने के प्रयास भी किये जाए।
4. विभाग के सिविल अभियन्ताओं को कार्यस्थल चयन, आकर्षक भवन निर्माण, तकनीकी गुणवत्ता, भवनों की सुन्दरता कायम रखने संबंधी विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिया जाए।

**(उत्तरदायित्व–एसई, आईएवाई)**

5. महात्मा गांधी नरेगा में चारागाह विकास के कार्य आवश्यक रूप से कराये जायें, चित्तौडगढ, भरतपुर एवं राजसमंद जिलों की भांति अन्य जिलों में भी चारागाह विकास, पंचफल आदि के कार्य कराये जायें।
6. ग्राम पंचायत व पंचायत समिति स्तर पर नर्सरी विकसित की जाये।
7. चारागाह विकास के कार्यों की सूची, लगाये गये वृक्षों की संख्या तथा उन पर रख रखाव नियोजित श्रमिकों की संख्या से अवगत कराया जाऐ। जिन चारागाह विकास कार्यों पर श्रमिक नोर्मस के अनुसार नियोजित नहीं हैं उन पर श्रमिक नियोजित कर अवगत कराया जाऐं। मृत पौधों की जगह नये पौधे लगाना व नका जीवित रहना भी सुनिश्चित करें।
8. सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के चयनित गांवों में चारागाह विकास के कार्य आवश्यक रूप से कराये जाऐं।

9. शालाओं को आंवटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जाये, उन्हें आवश्यकताअनुसार भवन निर्माण व खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित करायी जाये। महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत खेल मैदान का विकास कराया जाये। चारागाह भूमि यदि अतिक्रमित हों तो अतिक्रमण हटाकर चारागाह का विकास कराया जाये।
10. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास की दृष्टि से कंक्रीट प्लान बनाया जाये। मॉनिटरिंग हेतु प्रपत्र विकसित किये जाए एवं नियमित समीक्षा की जाये।
11. जिन जगहों पर अच्छे कार्य हुए हैं, उन्हें अन्य जिलों में Replicate किये जायें। परियोजना निदेशक, ईजीएस के पास अद्यतन सूचनायें उपलब्ध रहें, यह सुनिश्चित किया जाऐ।

**(उत्तरदायित्व–पीडी एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस)**

12. सांसद आदर्श ग्राम एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अन्तर्गत चयनित गांव में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गतिविधियॉ जैसे–नशामुक्ति, साक्षरता, परिवार कल्याण, कौशल विकास आदि भी संचालित की जाऐं। जिससे गांव का आधारभूत ढांचा विकास के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके।
13. योजना की सफल कियान्विति हेतु निरन्तर आमुखीकरण, प्रशिक्षण, Expouser visit जैसी गतिविधियॉ की जाये।
14. ग्रामीण विकास की योजनाओं में आवंटित बजट का व्यय कम रहा है एवं अधिकतर कार्य अपूर्ण हैं। इस हेतु प्रथम तिमाही कार्ययोजना बनाकर प्रतिमाह समीक्षा की जाऐं। यह सुनिश्चित किया जाय कि योजनाओं का आवंटित बजट का शतप्रतिशत उपयोग हो।

**(उत्तरदायित्व– परि. निदे.एसएपी-I , II, मोएवंमू.)**

15. राजीविका एवं एमपावर के माध्यम से संचालित गतिविधियों एवं योजनाओं में Diversification पर जोर दिया जाये। उदयपुर जिले के झाडोल/कोटडा क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय के तत्वाधान में संचालित गतिविधियों का अध्ययन किया जाऐ एवं वहां हुई सफल कियान्विति के अनुसार अन्य जिलों में भी Replicate करने के प्रयास किये जाऐं।

**(उत्तरदायित्व– एसएमडी/राजीविका अनुभाग)**

16. बंजर भूमि विकास हेतु महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से चारागाह विकास, पौधारोपण आदि के अधिक से अधिक कार्य किये जायें।

**(उत्तरदायित्व– मुख्य कार्यकारी अधिकारी–बायोफ्यूल)**

17. ग्रामीण विकास की संचालित योजनाओं में गैर सरकारी संगठनों का चयन, प्रशिक्षण, कार्मिक नियोजन आदि कार्यों में अरावली संस्थान की भागीदारी बढाई जा सकती हैं।

18. ग्रामीण विकास योजनाओं में सृजित होने वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्थल चयन निर्माण में गुणवत्ता, सुन्दरता व आकर्षण के सुनिश्चयन तथा भविष्य में रख रखाव इत्यादि को समाहित करते हुए प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जाये एवं सिविल अभियन्ताओं तथा ग्रामीण विकास से जुडे अधिकारी, कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाये, जिससे खुबसूरत ग्रामीण विकास परिदृश्य परिलक्षित हो सके।
19. राज्य स्तर के सभी अनुभाग अधिकारी जिलों से सूचना संकलन की कार्यवाही के अतिरिक्त स्वयं के स्तर से गुणात्मक सुधार एवं ग्रामीण विकास में नवाचार हेतु स्वप्रेरित अधिकारी की भूमिका अदा करें, जिससे समग्र ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार हो सके।

**(उत्तरदायित्व– सं.शा.सचिव,प्रशा., समस्त योजना प्रभारी, परि. निदे. मोएवंमू)**

बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों की अनुपालना समस्त संबंधित अनुभाग अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाऐ एवं 15 दिवस पश्चात प्रगति से अवगत करायेंगें।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

04(05)18

(हितबल्लभ शर्मा)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव,
(मो. एव मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, (ईजीएस)।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव(एलपीजीएस एवं एसएचजी, एसएपी–I, II, मो. एवं मू.,एमई)।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/ईजीएस।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)।
9. कार्यक्रम निदेशक, पटेल भवन, एचसीएम रिपा, अरावली, जेएनएल मार्ग, जयपुर।

4/05/18

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)